निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 552) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/ सी०3–30100/2003–767–सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 जनवरी 2015

श्री अरूण कुमार वर्मा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–231/99, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता (नक्सल), भोजपुर सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध टाउन उच्च विद्यालय, आरा के वार्षिक परीक्षा 2003 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की वैधता के संबंध में पुनर्विचार करने की अनुशंसा पर पर्दा डालने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–30 दिनांक 20.05.2004 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के लिए विभागीय पत्रांक–6766 दिनांक 11.08.2004 एवं स्मार पत्र सं0–11233 दिनांक 15.12.2005 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री वर्मा का स्पष्टीकरण अभ्यावेदन दिनांक 04.01.2006 समर्पित किया गया। श्री वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–3129 दिनांक 21.03.2007 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–1345 दिनांक 05.05.2007 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। उक्त मंतव्य में श्री वर्मा के स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं मानते हुये श्री वर्मा को लघु दंड के साथ दोष मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1301 दिनांक 01.02.2008 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक–935 दिनांक 26.11.2008 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी पाँच आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री वर्मा के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में समर्पित अपने स्पष्टीकरण दिनांक 04.01.2006 में कहा गया है कि ''गोपनीय जाँच प्रतिवेदन आरोपी को उपलब्ध कराकर उनके मनोबल को बढ़ाना'' के संबंध में बतौर साक्ष्य एवं परिणामस्वरूप जिला पदाधिकारी द्वारा मात्र लिख दिया जाना साक्ष्य नहीं होता है। सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–7719 दिनांक 06.06.2003 बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि इस संपूर्ण जाँच प्रतिवेदन में कहीं पर भी न तो इनके जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–78 न0 वि0 दिनांक 10.02.2003 के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है और न हीं उक्त प्रतिवेदन में इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का उल्लेख ही किया गया है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि 46 छात्रों के संबंध में अनियमितता की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा, भोजपुर

को आरम्भ से ही था और इसका दिग्दर्शन यदि ससमय किया जाता तो मामले का निस्तार काफी पूर्व होता। जिला शिक्षा पदाधिकारी, आरा द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर के निदेश पर उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2003 की पुनः जाँच की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2002 के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गयी। इनका यह भी कहना है कि जिला पदाधिकारी, आरा के स्तर से 262 छात्रों के अभ्यर्थित्व के संबंध में पत्रांक–3189 दिनांक 27.12.2002 द्वारा सचिव, विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के उपरांत पुनः जाँच कराकर एवं कतिपय साक्ष्यों को इकठ्ठा कर प्रतिवेदन भेजना इनके पुनर्विचार किये गये अनुशंसा पर क्रियान्वयन ही कहा जा सकता है। इन्होनें अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–78 न0 वि0 दिनांक 10.02.2003 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले से संबंधित वाद में निम्न आदेश पारित किया गया :–

"From the report of Additional Collector as contained Annexure 14 it appears that the entry of some of the students as been doubted and a recommendation was made for fresh consideration of the matter."

आरोप–पत्र, श्री वर्मा का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि अल्पावधि में जाँच प्रतिवेदन दिये जाने की बाध्यता के मद्देनजर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर श्री वर्मा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना अनुचित नहीं है। उक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु किसी से अवैध राशि लिये जाने अथवा अवैध राशि की मांग किये जाने का आरोप नहीं है। श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप फरवरी 2003 से संबंधित है, जिसके संबंध में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–30 दिनांक 20.05.2004 के द्वारा साक्ष्यों सहित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1301 दिनांक 01.02.2008 के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री वर्मा दिनांक 28.02.2003 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि उक्त विभागीय कार्यवाही उनकी सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष 11 माह बाद प्रारंभ की गयी है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही कालबाधित है। श्री वर्मा के विरूद्ध किसी वित्तीय अनियमितता अथवा सरकारी राशि के गबन का आरोप नहीं है बल्कि प्रतिवेदित आरोप प्रशासनिक प्रकृति का है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1301 दिनांक 01.02.2008 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1301 दिनांक 01.02.2008 द्वारा श्री अरूण कुमार वर्मा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–231/99, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता (नक्सल), भोजपुर सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 552-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in